Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 16-2016/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, FEBRUARY 2, 2016 (MAGHA 13, 1937 SAKA)

HARYANA GOVERNMENT

REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 2nd February, 2016

No. 3302-R-4-2015/1032.—The Governor of Haryana is pleased to change the name of Village ‘Mustafabad’ as “Saraswati Nagar” in district Yamuna Nagar, Haryana, the spelling of which in ‘Roman’ and ‘Devnagari’ scripts is as under:—

(i) In Roman **“SARASWATI NAGAR ”**

(ii) In Devnagari ^^सरस्वती नगर**

DR. DALIP SINGH,
Additional Chief Secretary and Financial Commissioner
to Government of Haryana, Revenue and
Disaster Management Department.

हरियाणा सरकार

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 फरवरी, 2016

संख्या 12/41/2015–पी0एच0–2.— चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में नलहार मेडिकल कॉलेज और नूंह टाऊन के लिए जल आपूर्ति स्कीम के लिए पाइप लाईन बिछाने के लिए भूमि जिसका विवरण नीचे दिया गया है जिसके अधीन कथित उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी है, में उपयोग का अधिकार अर्जन करना आवश्यक है;

इसलिए, अब हरियाणा भूमिगत पाइप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2008 (2008 का 31), की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे विशिष्टियों में वर्णित उक्त भूमि पर उपयोग के अधिकार व अर्जन हेतु अपने आशय की घोषणा करते हैं।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, इस समय, इस कार्य में लगे अधिकारियों को अपने सेवकों तथा कर्मकारों सहित, परिक्षेत्र में, किसी भूमि पर प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने तथा अधिनियम की उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिए, इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं।

कोई हितवद्ध व्यक्ति, जिसे नीचे वर्णित भूमि में भूमिगत पाईप लाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने में कोई आक्षेप हो, इस अधिसूचना के राजपत्र या परिक्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों जिनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो, में प्रकाशन या परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर इसमें से जो भी बाद में हो अपने आक्षेप, यदि कोई हों, लिखित में जिला राजस्व अधिकारी एवं सक्षम अधिकारी, गुडगांव के समक्ष दायर कर सकता है जिसे राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

भूमि के नक्शों तथा सभी अन्य विवरणों का निरीक्षण उप मंडल अधिकारी (नागरिक) पटौदी तथा कार्यकारी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक मण्डल, गुडगांव के कार्यालय में किया जा सकता है।

विशिष्टियां

1.	गांव	बाबड़ा बाकीपुर
2.	तहसील	फरुखनगर
3.	जिला	गुडगांव
4.	कुल क्षेत्रफल	17 मरला

हदबस्त संख्या	आयत संख्या	किल्ला संख्या	भूमि का क्षेत्रफल	
			कनाल	मरला
33	51	13 मिन पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण	0	8
		14 मिन पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण	0	2
		7 मिन पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण	0	7
		कुल क्षेत्रफल	**0**	**17**

कुल क्षेत्र :– 17 मरला

आलोक निगम,
अपर मुख्य सचिव,, हरियाणा सरकार,
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, चण्ड़ीगढ़।

HARYANA GOVERNMENT

PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT

Notification

The 2nd February, 2016

No.12/41/2015-PH-2.— Whereas, it appears to the Governor of Haryana that it is necessary in public interest that for laying of pipe line for the water supply scheme for Nalhar Medical College and Nuh Town it is necessary to acquire the right of user in land of which the description is given below under which the said underground pipe line is to be laid.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Haryana Underground Pipelines (Acquisition of Right of Unser in Land), Act 2008 (31 of 2008), the Governor of Haryana hereby declares its intention to acquire the right of user over the said land described in the specification below.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor of Haryana hereby authorizes the officers for the time being engaged in the undertaking, with their servants and workmen, to enter upon and survey the land in the locality and to do all other acts required or permitted by that section of the Act.

Any person, interested in the land described below, who has any objection to the acquisition of the right of user for laying of the underground pipeline, may, within a period of twenty-one- days from the publication of this notification in the Official Gazette or in two daily newspapers circulating in the locality of which at least one shall in the regional language or publicity in the locality whichever is later, file an objection, if any, in writing before the District Revenue Officer-cum-Competent Authority, Gurgaon, who is authorized as the Competent Authority by the State Government under clause (a) of Section 2 of the said Act.

The Plans of the land and all other details may be inspected in the office of the Sub Divisional Officer (C), Pataudi and Executive Engineer, Public Health Engineering Division, Gurgaon on any working day.

Specification

1. Village - Babra Bakipur
2. Tehsil - Farrukh Nagar
3. District - Gurgaon
4. Total Area - 17 Marla

Hadbast No	Rectangle No	Kila No.	Area in Acre	
			Kanal	Marla
33	51	13 Min East, West, North, South	0	8
		14 Min East, West, North, South	0	2
		7 Min East, West, North, South	0	7
	Total Area		**0**	**17**

Total Area: 17 Marla

ALLOK NIGAM,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Public Health Engineering Department, Chandigarh.

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 फरवरी, 2016

संख्या 2/8/2015–2श्रम.– भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम 27) की धारा 62 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) तथा धारा 40 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा भवन और

अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियम, 2005, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1. ये नियम हरियाणा भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तें विनियमन) संशोधन नियम, 2016, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियम, 2005 (जिन्हे, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 51 में, "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "तीन वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
3. उक्त नियमों में, नियम 53 में, उप–नियम (1) में, "एक लाख तथा पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख रुपए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

शशि गुलाटी,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

LABOUR DEPARTMENT

Notification

The 2nd February, 2016

No. 2/8/2015-2Lab.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 62 and Sub–section (1) read with Sub-section (2) of Section 40 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (Central Act 27 of 1996), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2005, namely:—

1. These rules may be called the Haryana Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Amendment Rules, 2016.
2. In the Haryana Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2005 (hereinafter called the said rules) in rule 51, for the words "one year," the words "three years" shall be substituted.
3. In the said rules, in rule 53, in sub-rule (1), for the words "one lac and fifty thousand rupees," the words "two lac rupees shall be substituted.

SHASHI GULATI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Labour Department.

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 फरवरी, 2016

संख्या 11/3/2014–4श्रम.– कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63), की धारा 66 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, मैसर्ज मेगनेटी मारली पावरट्रेन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नं0 1, सब प्लाट नं0 25 तथा 32, मारूति सप्लायरस पार्क, सैक्टर–3ए, आई0एम0टी0, मानेसर, जिला गुड़गाँव, हरियाणा के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में अधिकथित सीमाओं को परिवर्तित करते हैं ताकि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रातः 7–00 बजे से रात्रि 10–00 बजे के बीच दो शिफ्टों में महिला कर्मकारों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियोजन प्राधिकृत किया जा सके, अर्थात्;–

1. किसी भी महिला कर्मकार से रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के बीच कारखाने में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी अथवा उसे अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. किसी भी महिला कर्मकार से किसी भी दिन नौ घण्टे से अधिक और किसी भी सप्ताह में अड़तालीस घण्टों से अधिक काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी अथवा उसे अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. किसी भी महिला कर्मकार को, जो प्रातः 7.00 बजे से रात्रि 10 बजे की अवधि के दौरान काम करने से इन्कार करती है, तो उसे इस कारण से नियोजन से नहीं हटाया जायेगा अथवा अलग नहीं किया जायेगा।

4. किसी भी महिला कर्मकार को दूसरी शिफ्ट में कार्य करने के लिये अकेला नहीं लगाया जायेगा।
5. डाक्टर तथा महिला नर्स लगाते हुए, दूसरी शिफ्ट में महिला कर्मकारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
6. अधिष्ठाता, महिला कर्मकारों के साथ उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें लाने और वापस ले जाने वाले प्रत्येक वाहन पर महिला सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाएगा।
7. अधिष्ठाता, महिला कर्मकारों के बच्चों के उपयोग के लिये क्रैच का रखरखाव करेगा।
8. साप्ताहिक अवकाश के बाद महिला कर्मकारों की शिफ्ट बदली जाएगी।
9. कम्पनी महिला कर्मकारों को उनके निवास स्थान से कारखाने तक लाने और वापस ले जाने के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा की व्यवस्था करेगी, जिन्हें रात्रि 10 बजे तक दूसरी शिफ्ट में कार्य के लिए बुलाया जाता है।
10. कारखाना की केन्टीन में महिला कर्मकारों के लिए खाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि महिला कर्मकार दूसरी शिफ्ट के दौरान भोजन कर सके।
11. प्रबन्धक, विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान सरकार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गये न्याय निर्णय दिनांक 13 अगस्त, 1997, (ए.आई.आर 1997 सर्वोच्च न्यायालय–3011) के निर्देश के निबन्धनों के अनुसार महिला कर्मकारों के कार्य स्थल पर उनके यौन उत्पीड़न की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

शशि गुलाटी,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

LABOUR DEPARTMENT

Notification

The 2nd February, 2016

No. 11/3/2014-4Lab.— In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (b) of Sub-section (1) of Section 66 of the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948), the Governor of Haryana hereby varies the limits laid down in clause (b) of Sub-section (1) of Section 66 of the said Act in respect of M/s Magneti Marelli Powertrain India Private Limited Plot no.1, Subplot 25 & 32, Maruti Supplier's Park Sector 3A, IMT Manesar Distt. Gurgaon, Haryana so as to authorize the employment of women workers in two shifts from 7.00 a.m. to 10.00 p.m. for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette subject to the following conditions, namely:—

1. No woman worker shall be required or allowed to work in the factory between 10.00 p.m. to 6:00 a.m.
2. No woman worker shall be required or allowed to work for more than 9 hours in a day and 48 hours in a week.
3. No woman worker who declines to work during the period 7.00 pm to 10.00 pm shall be removed from employment or discriminated on this account.
4. No woman worker shall be engaged alone to work in the second shift.
5. The free medical facility by engaging a doctor and a female nurse shall be provided to the women workers in the second shift.
6. The occupier shall provide lady security guard to accompany the women workers on each transportation vehicle for their safety.
7. The occupier shall maintain a 'Creche' for the use of children of women workers.
8. The shift of women workers shall be changed after a weekly holiday.
9. The company shall provide free transport facility to women workers from their residence and back who are called to work in the second shift upto 10.00 p.m.
10. The arrangements for meal shall be made in the canteen of the factory so that the women workers can take their meals in the second shift.
11. The management shall ensure protection of women workers from sexual harassment at the work place in terms of the directions of the Hon'ble Supreme Court in the case of Vishaka and others **Vs** State of Rajasthan vide judgment dated 13th August, 1997 (AIR 1997 Supreme Court-3011).

SHASHI GULATI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Labour Department.

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 फरवरी, 2016

संख्या 14/44/2001–4श्रम.–कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63), की धारा 66 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, मैसर्स वाई0के0के0 प्राईवेट लिमिटेड, इण्डस्ट्रीयल प्लाट नं0 122, सैक्टर–6, एच.एस.आई.आई.डी.सी., बावल, गुड़गाँव, हरियाणा के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में अधिकथित सीमाओं को परिवर्तित करते हैं ताकि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रातः 7–00 बजे से रात्रि 10–00 बजे के बीच दो शिफ्टों में महिला कर्मकारों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियोजन प्राधिकृत किया जा सके, अर्थात्;–

1. किसी भी महिला कर्मकार से रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के बीच कारखाने में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी अथवा उसे अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. किसी भी महिला कर्मकार से किसी भी दिन नौ घण्टे से अधिक और किसी भी सप्ताह में अड़तालीस घण्टों से अधिक काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी अथवा उसे अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. किसी भी महिला कर्मकार को, जो सायं 7.00 बजे से रात्रि 10 बजे की अवधि के दौरान काम करने से इन्कार करती है, तो उसे इस कारण से नियोजन से नहीं हटाया जायेगा अथवा अलग नहीं किया जायेगा।
4. किसी भी महिला कर्मकार को दूसरी शिफ्ट में कार्य करने के लिये अकेला नहीं लगाया जायेगा।
5. डाक्टर तथा महिला नर्स लगाते हुए, दूसरी शिफ्ट में महिला कर्मकारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
6. अधिष्ठाता, महिला कर्मकारों के साथ उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें लाने और वापस ले जाने वाले प्रत्येक वाहन पर महिला सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाएगा।
7. अधिष्ठाता, महिला कर्मकारों के बच्चों के उपयोग के लिये क्रैच का रखरखाव करेगा।
8. साप्ताहिक अवकाश के बाद महिला कर्मकारों की शिफ्ट बदली जाएगी।
9. कम्पनी महिला कर्मकारों को उनके निवास स्थान से कारखाने तक लाने और वापस ले जाने के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा की व्यवस्था करेगी, जिन्हें रात्रि 10 बजे तक दूसरी शिफ्ट में कार्य के लिए बुलाया जाता है।
10. कारखाना की केन्टीन में महिला कर्मकारों के लिए खाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि महिला कर्मकार दूसरी शिफ्ट के दौरान भोजन कर सके।
11. प्रबन्धक, विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान सरकार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गये न्याय निर्णय दिनांक 13 अगस्त, 1997, (ए.आई.आर 1997 सर्वोच्च न्यायालय–3011) के निर्देश के निबन्धनों के अनुसार महिला कर्मकारों के कार्य स्थल पर उनके यौन उत्पीड़न की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

शशि गुलाटी,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

LABOUR DEPARTMENT

Notification

The 2nd February, 2016

No. 14/44/2001-4Lab.— In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (b) of Sub-section (1) of Section 66 of the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948), the Governor of Haryana hereby varies the limits laid down in clause (b) of Sub-section (1) of Section 66 of the said Act in respect of M/s YKK India Pvt. Ltd. Plot No. 122, Sector-6, HSIIDC Bawal Gurgaon, Haryana, so as to authorize the employment of women workers in two shifts between the hours of 7.00 a.m. to 10.00 p.m. for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette subject to the following conditions, namely:—

1. No woman worker shall be required or allowed to work in the factory between 10.00 p.m. to 6:00 a.m.
2. No woman worker shall be required or allowed to work for more than 9 hours in a day and 48 hours in a week.
3. No woman worker who declines to work during the period 7.00 pm to 10.00 pm shall be removed from employment or discriminated on this account.
4. No woman worker shall be engaged alone to work in the second shift.

5. The free medical facility by engaging a doctor and a female nurse shall be provided to the women workers in the second shift.
6. The occupier shall provide lady security guard to accompany the women workers on each transportation vehicle for their safety.
7. The occupier shall maintain a 'Creche' for the use of children of women workers.
8. The shift of women workers shall be changed after a weekly holiday.
9. The company shall provide free transport facility to women workers from their residence and back who are called to work in the second shift upto 10.00 p.m.
10. The arrangements for meal shall be made in the canteen of the factory so that the women workers can take their meals in the second shift.
11. The management shall ensure protection of women workers from sexual harassment at the work place in terms of the directions of the Hon'ble Supreme Court in the case of Vishaka and others Vs State of Rajasthan vide judgment dated 13th August, 1997 (AIR 1997 Supreme Court-3011).

SHASHI GULATI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Labour Department.

54014—C.S.—H.G.P., Chd.